(6

सं.14/6/2016-पब्लिक

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

पब्लिक अनुभाग

****

नार्थ ब्लॉक ,नई दिल्ली

दिनांक: 11/12 मई, 2017

सेवा में,

सभी राज्यों के मुख्य सचिव,
सभी संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव/प्रशासक,
राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस महानिदेशक

विषय : भारत के राष्ट्र गान से संबंधित आदेश।

महोदय/महोदया,

इस मंत्रालय के दिनांक 23/03/2017 के समसंख्यक पत्र (प्रति संलग्न) के अनुक्रम में मुझे यह उल्लेख करने का निदेश हुआ है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2017, की आई ए संख्या 15 के संबंध में वर्ष 2016 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 855 में दिनांक 18/04/2017 के अपने आदेश (प्रति संलग्न) में निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं:-

"यह आवेदन इस न्यायालय के दिनांक 30 नवंबर, 2016 एवं 9 दिसंबर, 2016 के आदेश के दायरे से कतिपय श्रेणियों के दिव्यांग व्यक्तियों को छूट देने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 को निदेश देने हेतु एनपीआरडी द्वारा दायर किया गया है। उल्लिखित व्यक्तियों की श्रेणियां निम्नलिखित हैं:-

(i) *व्हील चेयर प्रयोक्ता - सेरेवरल पाल्सी, पार्किनसंस, मल्टीपल सेलेरोसिस, मसकुलर डिस्ट्राफी या अन्य परिस्थितियां*
(ii) *ऑस्टिज़म से पीड़ित व्यक्ति*
(iii) *सेरेवरल पाल्सी से पीड़ित व्यक्ति*
(iv) *बौद्धिक अक्षमता*
(v) *मानसिक बीमारी*
(vi) *बधिर मूक*
(vii) *मल्टीपल अक्षमता*
(viii) *पार्किसंस, मल्टीपल सेलेरोसिस*
(ix) *कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्ति*
(x) *मसकुलर डिस्ट्राफी*

(7)

पक्षकारों के विद्वान काउंसिल को सुनने के बाद, हम इस आदेश में संशोधन करते हैं तथा इस आशय का निदेश देते हैं कि व्हील चेयर प्रयोक्ता, ऑस्टिज़म, सेरेवरल पाल्सी, मल्टीपल अक्षमता, पार्किनसंस, मल्टीपल सेलेरोसिस से पीड़ित व्यक्ति, कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्ति, मसकुलर डिस्ट्राफी तथा मूक एवं बधिर, तथा दृष्टिहीन व्यक्ति इस न्यायालय के आदेश के दायरे में न माने जाएं।

जहां तक अन्य श्रेणियों का संबंध है, जिनका हमने इस आवेदन में उल्लेख होने का संदर्भ नहीं किया है, उनके बारे में भारत संघ द्वारा विचार किया जा सकता है।"

3. आपको उपर्युक्त के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालनार्थ तथा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु संसूचित किया जाता है। आपसे यह भी अनुरोध है कि आप इलेक्ट्रानिक तथा स्थानीय प्रिंट मीडिया में इसका व्यापक प्रचार प्रसार करें ताकि उपर्युक्त आदेश का अक्षरश: अनुपालन किया जाए।

4. केन्द्र सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, 2016 दिनांक 28/12/2016 को अधिसूचित किया जिसके अंतर्गत 21 श्रेणियों के दिव्यांगता को मान्यता दी गई है। केन्द्र सरकार उन नई श्रेणियों की दिव्यांगता के मूल्यांकन एवं अभिप्रमाणन हेतु दिशा-निर्देशों को निरूपित करने की प्रक्रिया चला रही है जो विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 में शामिल नहीं हैं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उनके द्वारा निरूपित एवं अधिसूचित नई श्रेणियों के दिव्यांग व्यक्तियों के आकलन हेतु उक्त दिशा-निर्देशों को बनाए जाने के बाद उन दिशा-निर्देशों में आगे और संशोधन करने संबंधी सुझाव देगा। इन परिस्थितियों के मद्देनज़र इन दिशा-निर्देशों में आगे और सुधार या संशोधन या विस्तार किया जाएगा।

5. इस पत्र की पावती भेजने का कष्ट करें तथा की गई कार्रवाई के संबंध में इस मंत्रालय को सूचित करें।

संलग्नक : यथोपरि ।

भवदीय,

श्री प्रकाश

(श्री प्रकाश)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 23092962

प्रति प्रेषित:-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली ।
3. उप-राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
5. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली ।
6. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ।
7. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
8. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
9. रजिस्ट्रार, भारत का उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ।
10. सभी उच्च न्यायालय ।
11. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली ।
12. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
13. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली ।
14. नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली ।
15. गृह मंत्रालय के सभी संबंद्ध और अधीनस्थ कार्यालय।
16. 20 अतिरिक्त प्रतियां।

श्री प्रकाश
(श्री प्रकाश)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 23092962

संख्या 14/6/2016-पब्लिक
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
पब्लिक अनुभाग
***

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली -1
दिनांक 23 मार्च, 2017

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव/
सभी संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव/प्रशासक
सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस महानिदेशक

विषय : भारत के राष्ट्रगान से संबंधित आदेश।

महोदय/महोदया,

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 21/12/016 के समसंख्यक पत्र (प्रति संलग्न) के अधिक्रमण में, यह उल्लेख करने का निदेश दिया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2016 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 855 में अपने दिनांक 09/12/2016 के आदेश (प्रति संलग्न) में निम्नानुसार निदेश दिया है:-

"भारत के विद्वान महान्यायवादी ने यह प्रस्तुत किया है कि शारीरिक रूप से अक्षम या शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति किस प्रकार राष्ट्रीय गान के प्रति अपना आदर प्रदर्शित करेंगे, इस संबंध में केन्द्र सरकार 10 दिनों के भीतर दिशानिर्देश जारी करेगी। जैसाकि दिशानिर्देश जारी किया जा रहा है, हम इस आशय को स्पष्ट करते हैं कि शारीरिक रूप से अक्षम या शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति फिल्म देखने के लिए यदि सिनेमा घर जाते हैं, और वे खड़े होने में असमर्थ हैं तो उन्हें खड़े होने की आवश्यकता नहीं है, अपितु वे ऐसा आचरण प्रदर्शित करें जो राष्ट्र गान के प्रति आदर भाव प्रकट अवश्य करें। जब हम शारीरिक रूप से अक्षम या शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों का उल्लेख करते हैं तो उसका अर्थ दिव्यांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 की धारा 2(झ) एवं 2(न) के अंतर्गत यथापरिभाषित दिव्यांग व्यक्ति से है"।

2. इसके बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने 14/02/2017 के अपने आदेश में निम्नांकित बातें कही हैं:-
".....इस स्थिति में हम यह उल्लेख कर सकते हैं कि संसद में "दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016" नामक एक नया विधान लाया गया है। धारा 102 में " दिव्यांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995" निरसित कर दिया गया है। इस न्यायालय ने 1995 अधिनियम को ध्यान में रखते हुए दिव्यांग व्यक्तियों के संबंध में अपने पूर्व के आदेश में दिनांक 09/12/2016 को संशोधित किया है....."

3. तदनुसार, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार, 2016 की धारा 2 (ध) के साथ पठित धारा 2(यग) के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्र गान के प्रति आदर प्रदर्शित करने हेतु निम्नांकित दिशानिर्देश निर्धारित किये जाते हैं।

i. लोकोमोटर अशक्तता या व्हील चेयर का उपयोग करने वाले ऐसे व्यक्ति, जिनके नीचे के आधे शरीर अपंगताग्रस्त हैं वे आदर भाव प्रकट करने के लिए सहायक उपकरणों की मदद से अथवा उसके बिना अपनी एकाग्रता एवं सावधानी की अधिकतम सीमा तक शरीर की स्थिति बनाएंगें। उदाहरण के लिए व्हील चेयर पर बैठे दिव्यांग व्यक्ति व्हील चेयर को रोककर शारीरिक रूप से यथासाध्य अधिकतम सीमा तक अपनी सावधानी प्रदर्शित करें।
ii. यदि दिव्यांग व्यक्ति क्रच पर है तो वह सावधानी की अधिकतम तक स्थिर (बगैर हिले-डुले) हो जाए।
iii. बधिर व्यक्ति (बधिर एवं सुनने में कठिनाई महसूस करने वाले) यदि उठने में समर्थ हैं तो पूरी सावधानी से खड़े हो जाएंगे। तथापि, परदे पर पर्याप्त संकेत हो कि राष्ट्रीय गान गाया जा रहा है या इसका गान बजाया जा रहा है क्योंकि ऐसे व्यक्ति मुंह से दी गई

किसी सूचना को सुन नहीं सकते हैं। इस आशय की उपयुक्त अनुदेश संकेत भाषा में स्क्रीन पर दिये जाएं तथा इसे मोटे अक्षरों में भी लिखा जाए ताकि श्रवण बाधित व्यक्ति को सूचना मिल जाए कि राष्ट्रीय गान गाया जा रहा है।

iv. दृष्टि बाधित एवं अल्प दृष्टि वाले व्यक्ति राष्ट्रगान के आदर में उठ कर खड़े होंगे।

v. दिव्यांग व्यक्तियों के एस्कॉर्ट्स राष्ट्रीय गान के समय उठकर खड़े होंगे।

4. बौद्धिक रूप से अक्षम (मानसिक विकास बाधित) व्यक्ति के संबंध में यह उल्लेख है कि ऐसे व्यक्ति मस्तिष्क के अपूर्ण व बाधित विकास की स्थिति में होते हैं, विशेषत: अशक्तता के यह लक्षण उनके विकास अवधि के दौरान परिलक्षित होते हैं जो उनकी समग्र संज्ञान बुद्धि, भाषा, जीवनगति तथा सामाजिक सक्षमता को प्रभावित करती हैं। मानसिक विकास बाधा एक चुनौतीपूर्ण समस्या है जो बहुआयामी प्रकृति के होने के साथ-साथ जैविक-मानसिक-सामाजिक कारकों से प्रभावित होती है। इस श्रेणी के अशक्त व्यक्ति द्वारा राष्ट्रगान के प्रति आदर प्रदर्शन में निम्नांकित विशेषताएं बाधा बन सकती हैं:-

(क) समझ एवं बौधिक कमी।

(ख) मिर्गी (एपीलेप्सी, ध्यान में कमी, हाईपरएक्टिव डिस्आर्डर, सेंसर इम्पेयरमेंट, मनोरोग (सायके ट्रिक) रुग्णता, मोटर समस्या आदि।

(ग) इनमें से अधिक समस्याओं के कारण हाथ फैलाने, चिल्लाने, शोर करने, असामान्य शारीरिक हरकत, व्यवहारिक कार्य आदि कार्य करने में कठिनाई जैसी व्यवहारिक समस्याएं आती हैं।

4.1 जबकि बौद्धिक अक्षमता की अल्प समस्या से ग्रस्त व्यक्ति को, जो इससे जुड़ी अन्य समस्याओं से ग्रस्त नहीं हैं, राष्ट्रीय गान को समझने एवं उसका आदर करने के विषय में प्रशिक्षित किया जा सकता है, अन्य स्थिति में यह बात नहीं हो सकती। ऐसे अशक्त व्यक्तियों को इस प्रकार की छूट देने पर विचार किया जाए। इस संबंध में व्यापक जनजागरूकता निर्माण हेतु प्रचार प्रसार किये जाएं ताकि बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध किसी प्रकार की अशोभनीय घटना से बचा जा सके क्योंकि कुछ बौद्धिक रूप से अशक्त व्यक्तियों में शारीरिक अक्षमता दिखाई नहीं देती है।

5. केन्द्र सरकार ने 28.12.2016 को दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम, 2016 को अधिसूचित किया जिसमें 21 प्रकार की अशक्तताओं को मान्यता दी गई है। सरकार दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 में शामिल नहीं की गई अशक्तताओं की नई श्रेणियों का आकलन करने एवं प्रमाणीकरण के लिए दिशानिर्देशों के निरूपण की प्रक्रिया चला रही है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, जब कभी इस प्रकार की नई अशक्तता श्रेणियों का आकलन करने हेतु उक्त दिशानिर्देश निरूपित किये जाएंगे एवं उनके द्वारा अधिसूचित किये जाएंगे तो इन दिशानिर्देशों में आगे और संशो धन का सुझाव देगा। ऐसी स्थिति में ऐसे दिशानिर्देशों में आगे और अधिक संशोधन या सुधार या विस्तार किया जाएगा।

6. उपर्युक्त अनुदेश माननीय उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेशों के अनुपालन में संप्रेषित किया जा रहा है।

7. पत्र की प्राप्ति की पावती दी जाए और की गई कार्रवाई के बारे में इस मंत्रालय को सूचित किया जाए।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

वी.के. राजन

(वी.के. राजन)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 2309 4376

(16) (11)

प्रति प्रेषित:-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली ।
3. उप-राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
5. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली ।
6. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ।
7. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
8. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
9. रजिस्ट्रार, भारत का उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ।
10. रजिस्ट्रार, सभी उच्च न्यायालय ।
11. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली ।
12. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
13. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली ।
14. नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली ।
15. गृह मंत्रालय के सभी संबंद्ध और अधीनस्थ कार्यालय।
16. 20 अतिरिक्त प्रतियां।

वी.के. राजन

(वी.के. राजन)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 2309 4376

(12)

3376/16

ITEM NO.16 COURT NO.2 SECTION PIL(W)

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS

Writ Petition (Civil) No.855/2016

SHYAM NARAYAN CHOUKSEY Petitioner(s)

VERSUS

UNION OF INDIA Respondent(s)

(With appln. (s) for directions and exemption from filing O.T. and impleadment and impleadment as party respondent and intervention and recalling the Court's order and office report)

WITH W.P.(C) No.98/2017
(With office report)

Date : 18/04/2017 These petitions were called on for hearing today.

CORAM :

HON'BLE MR. JUSTICE DIPAK MISRA
HON'BLE MR. JUSTICE A.M. KHANWILKAR
HON'BLE MR. JUSTICE MOHAN M. SHANTANAGOUDAR

Mr. Sidhartha Luthra Sr. Adv. (A.C.)
Ms. Tara Narula, Adv.
Ms. Gargi Khanna, Adv.
Mr. Sidharth Malhotra, Adv.

For Petitioner(s) Mr. Rakesh Dwivedi, Sr. Adv.
Mr. Abhinav Shrivastava, AOR
Mr. Harmeet Singh Ruprah, Adv.
Ms. Sansriti Pathak, Adv.
Ms. Priyanka Garg, Adv.
Mr. Harsh Goel, Adv.

WP 98/17 Mr. Vikas Singh, Sr. Adv.
Mr. Girdhal Upadhyay, Adv.
Mr. A.K. Upadhyay, Adv.
Ms. Asha Upadhyay, Adv.
Mr. R. D. Upadhyay, AOR

Respondent(s) Mr. Tushar Mehta, ASG
Ms. Binu Tamta, Adv.
Mr. Rajat Nair, Adv.
Mr. R.K. Rathore, Adv.
Mr. Arijit Prasad, Adv.
Mr. B. Krishna Prasad, AOR

Mr. Tushar Mehta, ASG
Mr. Nishant Ramakand Katneshwarkar, AOR

Mr. Tushar Mehta, ASG
Mr. Shiv Mangal Sharma, AAG
Mr. Shrey Kapoor, Adv.
Ms. Ruchi Kohli, Adv.

Applicant-in-person

Mr. Raju Ramachandran, Sr. Adv.
Mr. Biju P Raman, AOR

Mr. A. Subba Rao, AOR

Mr. Lakshmi Raman Singh, AOR

Mr. C.U. Singh, Sr. Adv.
Mr. P. V. Dinesh, AOR
Ms. Sindhu T.P., Adv.
Mr. Rajendra Beniwal, Adv.
Ms. Arushi Singh, Adv.

UPON hearing the counsel the Court made the following

O R D E R

Mr. Rakesh Dwivedi, learned senior counsel appearing for the petitioner submits that he has filed an interlocutory application seeking permission to urge additional grounds and prayers.

Regard being had to the grounds urged, the interlocutory application stands allowed. Mr. Abhinav Shrivastava, learned counsel assisting Mr. Rakesh Dwivedi, shall file the amended writ petition within two weeks hence and serve copies thereof on the learned counsel for other sides.

Mr. Tushar Mehta, learned Additional Solicitor General appearing for the Union of India has submitted that he has filed two interlocutory applications for impleadment on behalf of the States of Maharashtra and Rajasthan. The said two States be impleaded as respondents in the petition.

The interlocutory applications stand allowed accordingly.

I.A. No.14 of 2017

This is an application for impleadment filed on behalf of the National Platform for the Rights of the Disabled (NPRD).

Having heard Mr. Raju Ramachandran, learned senior counsel for the applicant, the prayer stands allowed.

I.A. No.15 of 2017

This is an application filed by the NPRD to direct the respondent No.1 to exempt certain categories of disabled persons from the purview of the order of this Court dated 30th November, 2016 and 9th December, 2016. The categories of persons mentioned are:-

(i) Wheel chair users - can be cerebral palsy, Parkinsons, Multiple sclerosis, Muscular dystrophy or other conditions

(ii) Those with autism

(iii) Those with cerebral palsy

(iv) Intellectual disabilities

(v) Mental illness

(vi) Deaf blind

(vii) Multiple disabilities

(viii) Parkinsons, Multiple sclerosis

(ix) Leprosy cured

(x) Muscular dystrophy

Having heard learned counsel for the parties, we are inclined to modify the orders and direct that the persons who are wheel chair users, those with autism, persons suffering from cerebral palsy, multiple disabilities, parkinsons, multiple sclerosis, leprosy cured, muscular dystrophy and deaf and blind be treated not to be within the ambit of the orders passed by this Court.

As far as the other categories, which we have not referred to mentioned in the application, are concerned, the same may be considered by the Union of India.

I.A. No.11 of 2017

This is an application for recall of the order dated 30th November, 2016, passed by this Court, which has been modified from time to time. In our considered opinion, this application for recall shall be heard along with the writ petition when it is finally heard.

Writ Petition (C) No.98 of 2017

Issue notice.

Let a copy of this petition be served on Ms. Binu Tamta, learned counsel assisting Mr. Tushar Mehta, learned Additional Solicitor General of India. The Union of India shall file its response to the writ petition within four weeks hence.

Let both the writ petitions along with the interlocutory applications be listed on 23rd August, 2017.

(Chetan Kumar)
Court Master

(H.S. Parasher)
Court Master